न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 40 / 2024 निर्णय दिनांक :–28.11.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. ~~हरदेवा पुत्र देव्या जाति मीणा उम्र 76 वर्ष निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.) मृतक~~

1/1 श्रीमती लाड़ा देवी पत्नी स्व0 हरदेवा मीणा निवासी थांवला
1/2 चन्ता पुत्री स्व0 हरदेवा मीणा निवासी थांवला
1/3 रामधन पुत्री स्व0 हरदेवा मीणा निवासी थांवला
1/4 सीमा पुत्री स्व0 हरदेवा मीणा निवासी थांवला **–प्रार्थीगण–**

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.) **–अप्रार्थीगण–**

उपस्थिति :–

श्री राजेश जैन तहसीलदार देवली
अधिवक्ता प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.2200 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.22 है0 वाके तनग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा न0 2781 वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक रा0 सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2831 गै0मु0 रास्ता है। प्रार्थी काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 2831 से सिवाचक भूमि खसरा नम्बर 2781 की दक्षिणी दिशा की ओर मेर पर से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 2831 से सिवाचयक भूमि खसरा नम्बर 2781 की दक्षिणी दिशा की मेर पर से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाता ले जात है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खते में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा न0 2831 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2781 की दक्षिणी मेर पर से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अप्रार्थी लेण्ड हॉल्डर होने प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 2782 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा

Ruby

नम्बर 2831 से सिवायचक भूमि 2781 की दक्षिणी मेर पर से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:-

प्रार्थीगण की अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता की लम्बाई 120 मी. एवं चौड़ाई 9 मीटर होगी अर्थात क्षेत्रफल 0.1080 है0 भूमि होगी। प्रस्तावित रास्ते की दूरी मूल आबादी थांवला से 850 मी. दूरी है। प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 372157/- प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 40193 व दुगुनी 80396 रूपये होगी। आवेदक हरदेवा पुत्र देव्या की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिस रामधन पुत्र हरदेवा के नाम आराजी खातेदारी में दर्ज है रहिन बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा थांवला के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। यदि प्रार्थी को रास्ता की आवश्यकता अत्यधिक आवश्यकता होने पर सिवायचक भूमि से रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार देवली के जवाब/रिपोर्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2782 रकबा 0.22 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा न0 2781 अप्रार्थी के नाम दर्ज है। एवं अप्रार्थी तहसीलदर द्वारा प्रर्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होने पर सिवायचक भूमि से रास्ता दिया जाना उचित बताया है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय क्रमांक :राजस्व/2024/1075 दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता नम्बर 730 खसरा नम्बर 2782 रकबा 0.2200 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.2200 है0 वाके तनग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग ख. नं. 2781 रकबा 0.5800 है0 प्रस्तावित रास्ता की लम्बाई 120 मी. एवं चौड़ाई 9 मीटर होगी अर्थात क्षेत्रफल 0.1080 है0 भूमि होगी। प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 372157/- प्रति0 है0 से एक गुणा कुल राशि 40193 व दुगुनी 80396 रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि जमा राजकोष करवाया जावे। पालना रिपोर्ट 30 दिवस में पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 28.11.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देवली